बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001

शुद्धि पत्र

60वीं, 61वीं एवं 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक–16.09.2016 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन का प्रकाशन करते हुए इच्छुक एवं सुयोग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 27.09.2016 से 03.11.2016 की अवधि में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उक्त प्रकाशित विज्ञापन में कतिपय बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति निम्न प्रकार संशोधित करते हुए स्पष्ट की जाती है:–

1. **विज्ञापन की सारणी 1**, विभिन्न विभागों में रिक्तियाँ एवं उसके वेतनमान **क्रमांक 6**, में बिहार प्रोबेशन सेवा के अन्तर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड–पे–4200 दर्शाया गया है।

   उक्त वेतनमान को वित्त विभाग के संकल्प सं० **7201, दिनांक–19.08.2015 द्वारा संशोधित करते हुए वेतनमान 9300–34800 ग्रेड–पे, PB–2 4800/– एवं चार वर्षों के बाद PB-3-5400/– कर दिया गया है।**

2. विज्ञापन की कंडिका 5 'ग' (x) में यह उल्लिखित है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा और ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी विशेष की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

   उपर्युक्त कंडिका 5 'ग'(x) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:– ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी के पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों के पास अपनी आरक्षण कोटि के अनुरूप यथोचित प्रमाण पत्र नहीं रहने पर उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में माना जायेगा, वशर्ते कि उन्होंने सामान्य कोटि के उम्मीदवार के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाईन आवेदन भरते समय जमा कर दिया हो।

   विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

6/10/2016

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना